उत्तराखण्ड के कृषकों हेतु संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनायें

प्रायोजक

कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग एवं पशुपालन विभाग

संकलन

भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड के कृषकों हेतु संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनायें

संकल्पना
डॉ लक्ष्मी कान्त, निदेशक

संकलन एवं सम्पादन

डॉ कुशाग्रा जोशी
डॉ बृज मोहन पाण्डेय्

सहयोग

श्री देवेन्द्र सिंह कार्की
श्री केशव नौटियाल

अस्वीकरण

इस पुस्तिका में दी गयी जानकारी उत्तराखंड के विभिन्न रेखीय विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी पर आधारित है। पुस्तिका का उद्देश्य उत्तराखंड के कृषकों के मध्य विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्बंधित रेखीय विभागों से संपर्क करें।

कृषि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक धारा का मूल है। भारत में किसानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वे न केवल खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि कृषि उत्पादों के माध्यम से देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान करते हैं। उत्तराखण्ड का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ केकृषकों को समुचित निवेश/संसाधन उपलब्ध न होने से कृषि क्षेत्र आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ, वित्तीय समस्याएँ, उचित जानकारी की कमी और अत्याधुनिक तकनीक की पहुंच का अभाव। ऐसे में, सरकार ने किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं ताकि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकें और अपनी खेती को लाभकारी बना सकें।

यह पुस्तक उन योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है जो किसानों को उनके जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और उचित बाजार से जोड़ना है। इन योजनाओं में कुछ केंद्र पोषित तथा कुछ राज्य पोषित हैं जो कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखंड में संचालित की जा रही हैं जिसका समुचित लाभ सीमांत कृषक तक पहुँच रहा है। इन योजनाओं का उपयोग करके कृषक अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आजीविका को सुधार सकते हैं। बहुत से किसानों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, परिणामस्वरूप कई बार वह योजनाओं का लाभ उठाने से चूक जाते हैं।

इस पुस्तक में किसानों के लिए उपलब्ध इन योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, ताकि वे सही समय पर इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी कृषि कार्यों को और अधिक प्रभावी बना सकें। आशा है कि यह पुस्तिका न केवल किसानों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगी, बल्कि पर्वतीय कृषि में सुधार के लिए प्रेरणा भी प्रदान करेगी और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की दिशा में योगदान देगी।

कृषि

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

सरकार किसानों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का किसानों को हर मौसम में फायदा मिलता है। देश में बहुत से किसानों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। इसके चलते कई बार वह योजनाओं का लाभ उठाने से चूक जाते हैं। सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनायें शुरू की जाती है, इनमें से कुछ मुख्य योजनायें और उनका विवरण इस प्रकार है–

कृषकों हेतु केन्द्रपोषित योजनायें

1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY&RAFTAAR)

आरकेवीवाई योजना का प्रारंभ जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार राज्यों को उनके कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यकलापों को चुनने की अनुमति प्रदान करते हुए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक छत्रक योजना के रूप में वर्ष 2007 में किया गया। आरकेवीवाई योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है। आरकेवीवाई के तहत राज्यों को अपनी आवश्यकता, प्राथमिकताओं और कृषि–जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार योजना के तहत परियोजना कार्यक्रमों का चयन, नियोजन अनुमोदन और निष्पादन के लिए छूट एवं स्वायत्तता प्रदान की गई है।

• **एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम** – इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एकीकृत कृषि विकास कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जिसमें कृषकों के खेतों में चेक डैम, चेक वॉल, पौध रोपण, उद्यानीकरण, सुरक्षा दीवार, कृषि कार्य, घास रोपण, आदि कार्य किये जाते हैं।

• **एकीकृत बहुदेशीय जल सम्भरण परियोजना–** न्यूनतम भूमि पर जल के बहुदेशीय उपयोग से अधिकतम आय का स्रोत उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जल सम्भरण टैंकों का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ मत्स्य पालन तथा मुर्गीपालन इकाईयों को बढ़ावा देने में होता है जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्त्रोत सृजित होता है।

परियोजना उद्देश्य :

1. कृषि विकास हेतु फारमिंग सिस्टम एप्रोच को महत्ता प्रदान करना।
2. अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन करते हुए तथा नमी संरक्षण की विधियों से फसल उत्पादन व उत्पादकता में वृद्वि के प्रयास।
3. कृषि विवधिकरण को प्रोत्साहन देकर कृषकों की आय सर्जन गतिविधियो को बढ़ावा देना।
4. स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर पलायन को रोकना।

योजना के मुख्य घटक हैं :– 1– सीमेंटेड वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण 2– मत्स्य पालन 3– मुर्गी पालन 4– चारा हेतु घास रोपण 5– पालीहाउस निमार्ण 6– फल पौध रोपण

• **हिल सीड्स बैंक (पर्वतीय फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम)–** पर्वतीय फसल प्रजातियों के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभाग द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित कराया जा रहा है।

2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

एनएफएसएम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे क्षेत्र विस्तार के माध्यम से चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने और राज्य के चिन्हित जिलों में सतत तरीके से उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था। प्रदेश में चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज एवं तिलहन फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 फण्डिंग पैटर्न पर संचालित है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज एवं तिलहन फसलों के अन्तर्गत देय सुविधाओं के मानक का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	कार्य मद	अनुदान के मानक
1	क्लस्टर प्रर्दशन	रु0 9000 प्रति है० (धान, गेहूँ व दलहन) रु0 6000 प्रति है0 (मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज व सोयाबीन) रू० 3000 प्रति है0 (तोरिया/सरसों/राई/तिल)
2	क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रदर्शन	रु० 15000 प्रति है०
3	बीज वितरण	संकर – धान बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50 प्रतिशत या रु० 10000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो अधिक उपजशील प्रजाति बीज वितरण (10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियाँ) धान व गेहूँ– मूल्य का 50 प्रतिशत या रु0 1000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो दलहन प्रजातियां–मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 2500 प्रति कुंतल, जो भी कम हो मक्का/मण्डुवा/सांवा – मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 1500 प्रति कुंतल जो भी कम हो अधिक उपजायी प्रजाति बीज वितरण (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियाँ) धान व गेहूँ– मूल्य का 50 प्रतिशत या रु0 2000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो दलहन प्रजातियां – मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 5000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो मक्का, मण्डुवा/सांवा – मूल्य का 50 प्रतिशत या रु० 3000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो सोयाबीन/तोरिया/सरसों/राई – मूल्य का 50 प्रतिशत या रु0 4000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो
4	बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियां)	अरहर, मूंग, ऊर्द, चना, गहत, मसूर, आदि – मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 5000.00 प्रति कु0, जो भी कम हो मण्डुवा/ सांवा – मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 3000.00 प्रति कु0, जो भी कम हो तिलहन–आधारीय बीज उत्पादन (मूल्य का 50: या रू० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50 प्रतिशत या रू० 2500 प्रति कु0, जो भी कम हो)
5	पौध एवं मृदा प्रबन्धन	सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण–मूल्य का 50 प्रतिशत या रु0 500/हैक्टेयर जो भी कम हो
6	यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र	अ) मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप आदि मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा एस0एम0ए0एम0 मानक के अनुसार ब) जल संवहन पाइप – मूल्य का 50 प्रतिशत या एच०डी०पी०ई० पाइप हेतु रू0 50 प्रति मीटर,

क्र.सं.	कार्य मद	अनुदान के मानक
7	कृषक प्रशिक्षण–	रू0 3500 प्रति सत्र या रु0 14000 प्रति प्रशिक्षण
8	लोकल इनसियेटिव–	50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन0एम0एस0ए0 के मानकों के अनुसार) रु0 2.50 लाख प्रति इकाई
9	स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन	रु0 9900 प्रति है०
10	कस्टम हायरिंग हेतु सहायता	रू0 1500 प्रति है०

3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

खरीफ 2016 से प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना संचालित है। यह केन्द्रपोषित योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से वित्त पोषित है जो कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत 18 बीमा कम्पनियों के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रदेश में सभी जनपदों में योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल में चावल, मण्डुवा तथा रबी में गेहूँ फसल को संसूचित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल व पिथौरागढ़ में मौसम रबी में फसल मसूर भी संसूचित है। यह योजना भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।

योजना का उद्देश्य

• किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज प्रदान करना।

• खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना ।

• किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना।

• उत्पादन जोखिम से कृषको की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।

आच्छादित किये जाने वाले किसानः संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने बाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान आच्छादित किये जाते हैं। योजना समस्त कृषकों के लिये खरीफ 2020 से ऐच्छिक की गयी है। यह योजना मौजूदा ऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक (आप्ट आउट मोड) पर काम करेगी।

संसूचित फसलेंः प्रदेश में योजना के अन्तर्गत खरीफ में फसल चावल, मण्डुवा तथा रबी में गेहूं व मसूर (जनपद पौड़ी एवं पिथौरागढ़) पर योजना संचालित की जा रही है।

संसूचित इकाईः खरीफ 2022 से प्रदेश के समस्त जनपदों में धान, मण्डुवा तथा गेहूं को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। मसूर को जनपद स्तर पर संसूचित किया गया है।

कवर किये गये जोखिम एवं अपवादः निम्नलिखित अवस्थाओं और जोखिम के कारण होने वाले फसल की क्षति को योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया हैः–

(1) बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति मेंः अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक का दावा भुगतान

किया जा सकता है यदि किसी संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है।

(2) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में**: फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होता है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित उपज थ्रैसहोल्ड उपज के 50% से कम है। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई अवधि (क्राप कैलेण्डर के अनुसार) के 15 दिन के पूर्व तक होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होती है।

(3) फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिये बिखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में : प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश एवं ओलावृष्टि के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। फसल कटाई उपरान्त क्षति सम्बन्धी आंकलन व्यक्तिगत आधार पर सभी जनपदों में किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए बिखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा ।

(4) स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलनः स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना तथा बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को इससे बाहर रखा गया है।

प्रीमियम दर पर राज सहायता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के लिये कृषकों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम की दर निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	मौसम	फसलें	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम की दरें
1	खरीफ	धान, मण्डुवा, बाजरा एवं तिलहन, अन्य फसलें	बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो
2	रबी	गेहूं तथा अन्य फसले	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो
3	खरीफ एवं रबी	गेहूं तथा अन्य फसले वार्षिक नकदी/वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो

खरीफ में 2 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम तथा रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम की धनराशि सब्सिडी के रूप में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में बीमा कम्पनी को भुगतान की जाती है। बीमा योजना का संचालन ए. आई.सी. तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

फसल बीमा पोर्टल एवं ऐप

भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु FARMER PORTAL (www.pmfby.gov.in) तथा Crop Insurance Mobile App तैयार किया गया है जिसके द्वारा

कृषक बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी तथा बीमित फसल, बीमित क्षेत्रफल के आधार पर बीमित धनराशि, प्रीमियम की गणना प्राप्त कर सकता है।

(1) योजना को क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक संसूचित फसलों के लिए निश्चित इकाई क्षेत्र आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

(2) स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना तथा बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश के लिए निजी आधार पर किया जाता है।

4.राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के भीतर जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए अपनी रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक समर्पित एनएमएसए लॉन्च किया।

4.1 वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD) :–योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत खेती प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केन्द्रित, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रदेश में वर्ष 2014–15 से निरन्तर संचालित है । इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम है–

(क) एकीकृत विभिन्न कृषि प्रणाली

क्र.सं.	कृषि पद्धति	देय सहायता/मानक
1	उद्यान आधारित फसल प्रणाली (Horticulture based farming system)	जहाँ कृषकों की आजीविका अधिक से अधिक उद्यान आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 या कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है ।
2	पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली (Livestock based farming system)	कृषकों की आजीविका पशुपालन पर आधारित हो, इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 या कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है।
3	दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली (Dairy based farming system)	जहाँ कृषकों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 40000.00 या कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है।
4	मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली (Fisheries based farming system)	जहाँ कृषकों की आजीविका मत्स्य उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है।
5	वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली (Silvi& pastural based farming system)	जहाँ कृषकों की आजीविका वृक्ष उत्पादन उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 15000.00 या कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है।
6	कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली (Agro&forestry based farming system)	जहां कृषकों की आजीविका कृषि वानिकी पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 15000.00 या कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है।

(ख) मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण (Value Additon & Resources Conservation)

क्र.सं.	घंटक	व्यय के मानक/देय अनुदान की सीमा
1	ग्रीनहाउस एवं लो–टनल पॉलीहाउस (ट्यूबलर) का निर्माण	संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या रू० 530.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो ।
2	मौन पालन	मौन पालन कॉलोनी हेतु लागत का 40: या रू० 800.00 प्रति कॉलोनी जो भी कम हो।
3	साइलेज इकाई का निर्माण	इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का शत प्रतिशत अधिकतम रू० 1.25 लाख प्रति कृषक परिवार ।
4	पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज	इसके लिए लागत मूल्य का 50% या रू० 4000.00 प्रति वर्ग मीटर एक इकाई हेतु अनुदान की सीमा रू० 2.00 लाख /इकाई ।
5	जल संभरण टैंक/जलाशय (व्यक्तिगत)	व्यक्तिगत लाभार्थी को संरचना की लागत मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 75000.00 प्रति इकाई ।
6	जल संभरण टैंक, जलाशय (सामुदायिक)	सामुदायिक जल संभरण टैंक/जलागम निर्माण हेतु लागत मूल्य का शत– प्रतिशत या (01 है० कमान्ड क्षेत्रफल) रू० 2.50 लाख प्रति इकाई।
7	लाइनिंग ऑफ टैंक्स/रैस्टोरेसन	मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 15000.00 प्रति इकाई।
8	वाटर एप्लीकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन	मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 10000.00 प्रति इकाई।
9	वाटर लिफ्टिंग डिवाइस	इलेक्ट्रिक/डीजल इकाईयों हेतु मूल्य का 50%या अधिकतम रू० 15000.00 प्रति इकाई।
10	मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	रू0 24000.00 प्रति संरचना।
11	लोवर रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	रू0 40000.00 प्रति संरचना।
12	वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें	संरचना निर्माण लागत मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 125.00 प्रति घन फीट, स्थायी वर्मी कम्पोस्ट संरचना हेतु अधिकतम सहायता सीमा रू० 50000.00 प्रति इकाई, जबकि एच०डी०पी०ई० वर्मीशेड हेतु अधिकतम रू० 8000.00 प्रति इकाई राज सहायता देय है।
13	संसाधन संरक्षण/ आई०एफ०एस० प्रशिक्षण	रू० 10000.00 प्रति प्रशिक्षण।
14	शैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट	रू० 20000.00 प्रति प्रशिक्षण/विजिट।

4.2 सॉईल हैल्थ कम्पोनेन्ट (SHC)

• मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (SH&F) योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 90/10 के फंडिंग पैर्टन पर आधारित है।

• योजनान्तर्गत मृदा नमूनों का एकत्रण, विश्लेषण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, प्रदर्शन, नयी चल, सचल एवं ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं आदि अन्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रमोशन एवं वितरण आदि अन्य घटक सम्मिलित हैं।

• योजना में मृदा नमूनों के एकत्रण एवं विश्लेषण के पश्चात कृषकों को सभी आवश्यक संस्तुतियों सहित निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.3 परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)

परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत परम्परागत कृषि फसलों जैसे धान्य फसलें मण्डुवा, झंगोरा, चीणा, दलहनी फसलों जैसे तोर, उड़द, नौरंगी, मसूर, गहत, कुल्थी तथा तिलहनी फसलों सोयाबीन, भट्ट, तिल, तोरिया/सरसों आदि की जैविक खेती में परम्परागत तकनीकी एवं आधुनिक कृषि तकनीकी का यथा संभव समावेश कर इन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए कृषकों की आय बढाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० सर्टीफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्सहित किया जाना है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 585 क्लस्टर मे योजना का संचालन किया गया, जिसके अन्तर्गत 11700 है0 क्षेत्रफल को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने में गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2018–19 से पी0के0वी0वाई0 योजना का 3900 नये समूहों / कलस्टरों में क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा संशोधित नई दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत जैविक खेती पर कृषक प्रशिक्षण एवं कृषकों को एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम कराया जा रहा है तथा पी०जी०एस० प्रमाणीकरण, जैव निवेशों के वितरण, जैविक उत्पादों का विपणन, ब्रांड बिल्डिंग, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग हेतु योजना की नई दिशा निर्देश के अनुसार कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्यमद एवं राज सहायता

क्र.सं.	कार्यमद	व्यय के मानक (रू०/है०)		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	कलस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण	1000	1000	1000
2	प्रक्षेत्र कार्मिकों का तैनाती एवं योजना क्रियान्वयन के प्रबन्धन हेतु व्यय	1500	1500	1500
3	भौतिक सत्यापन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेवा शुल्क	700	700	700
4	जोनल काउंसिल/विभाग के माध्यम से एन. ए. बी. एल. अधिकृत प्रयोगशालाओं में रसायन अवशिष्ट विश्लेषण (3 नमूना/एल.आर.पी. क्षेत्र 100 है0)	–	300	300
5	डी.बी.टी. के माध्यम से जैविक में परिवर्तन, ऑन फार्म एवं ऑफ फॉर्म निवेशों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि	12000	10000	9000
6	मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग, किराया, परिवहन, आदि हेतु वित्तीय सहायता	–	500	1000
7	कृषक समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन, संरचना निर्माण	–	1000	1000

क्र.सं.	कार्यमद	व्यय के मानक (रू०/है०)		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
8	ब्रांड बिल्डिंग, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग	1300	2000	2000
	कुल योग	16500	17000	16500

5 राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार सेवाओं और मशीनीकरण का प्रसार करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं–

5.1 **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना** की घटक योजना "सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस आतमा"– योजना में संचालित मुख्य गतिविधियां एवं मानक निम्ननुसार हैं –

क्र०सं०	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक	विवरण
1	**कृषक प्रशिक्षण–** (अन्तर्राज्यीय, राज्यान्तर्गत, जिलान्तर्गत)	क्रमशः रू0 1250, रू0 1000 एवं रू0 400/250 प्रति कृषक प्रतिदिन	कृषकों को समय–समय पर सम्बन्धित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
2	**प्रदर्शन–** कृषि, रेखीय विभाग–उद्यान/पशुपालन	रू0 4000 प्रति एकड	कृषि एवं रेखीय विभागों से सम्बन्धित विषयों पर/रेशम/ मत्स्य आदि के प्रदर्शन, समय–समय पर कृषकों के प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन आयोजित किया जाता है।
3	**कृषक भ्रमण कार्यक्रम–** अन्तर्राज्यीय, राज्यांतर्गत, जिलांतर्गत)	क्रमशः रू0 1000, रू0 500 एवं रू0 300 प्रति कृषक प्रतिदिन	कृषि एवं रेखीय विभागों के कृषकों को समय–समय पर अध्ययन भ्रमण कराया जाता है।
4	कृषक समूहों का क्षमता विकास/सीडमनी – प्रति समूह–प्रति वर्ष/प्रति समूह – एक बार	रू0 5000/10000 प्रति समूह	उपयोगी वस्तु (commodity) आधारित स्वयं सहायता समूह को उनकी क्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं आवश्यकता अनुरूप रिवॉलविंग फन्ड प्रदान किया जाता है।
5	**किसान मेलों का आयोजन–**(प्रति जनपद)	अधिकतम रू0 4,00,000 प्रति जनपद	किसान मेलों के माध्यम से कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है।
6	कृषक वैज्ञानिक संवाद	रू0 20000 प्रति संवाद	प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी में कृषकों और वैज्ञानिकों के मध्य समस्याओं के समाधान एवं सुझाव हेतु संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
7	**किसान गोष्ठी/फील्ड डे–**(जनपद/विकासखण्ड स्तर)	रू0 15000 प्रति गोष्ठी	किसान गोष्ठी/फील्ड डे के माध्यम से कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है।
8	**फार्म स्कूल–**(विकासखण्ड स्तर)	रू० 29,414 प्रति फार्म स्कूल	प्रगतिशील एवं अनुभवी कृषकों के माध्यम से फार्म स्कूल स्थापित कर अन्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

क्र०सं०	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक	विवरण
9	कृषक पुरस्कार–(राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं ब्लाक स्तर)	क्रमशः रू0 50000, रू० 9.25000 एवं रू0 10000 प्रति कृषक	विभिन्न इन्टरप्राईजेज के कृषकों को क्रमशः किसान रत्न, किसान भूषण एवं किसान श्री की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।

5.2 सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन (SMAM) (90% केन्द्रपोषित)

यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म पॉवर 0.5 किलो वॉट प्रति है० है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लगभग 3 किलोवॉट प्रति है० है। पर्वतीय क्षेत्रों में औसतन ड्राफ्ट पॉवर काफी कम है। पर्वतीय क्षेत्रों में जोतों का आकार कम होना, सीढ़ीदार खेत, बिखरी जोत का होना, आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग में एक मुख्यः अवरोध है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से राष्ट्रीय तकनीकी एवं प्रसार मिशन के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन चलायी जा रही है। योजना से प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को कृषि यन्त्रीकरण में आच्छादित किया जा सकता है, जिसके लिये विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र एवं फार्म पॉवर के अनुपात में 2 किलो वॉट प्रति है० तक की वृद्धि करने के लिये कृषि यंत्रीकरण योजना महत्वपूर्ण है।

योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के मानक निम्ननुसार हैं–

क्र.सं.	यंत्र का नाम	अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एव महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए.एम. के अनुसार
1	पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रू० 65000.00, जो भी कम हो।
2	पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक	50% या अधिकतम रू० 85000.00, जो भी कम हो।
3	पावर वीडर पावर चलित 2 बीएचपी से	50% या अधिकतम रू० 25000.00, जो भी कम हो।
4	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू० 35000.00, जो भी कम हो।
5	पावर वीडर पावर चालित 5 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू० 63000.00, जो भी कम हो।
6	चौफ कटर (power/drawn below 3hp)	50% या अधिकतम रू० 20000.00, जो भी कम हो।
7	चौफ कटर (power/drawn below 3 to 5hp)	50% या अधिकतम रू० 28000.00, जो भी कम हो ।
8	चौफ कटर मानव चालित	50% या अधिकतम रू0 6300.00, जो भी कम हो ।
9	ब्रश कटर (3 एच.पी. से अधिक)	50% या अधिकतम रू० 40000.00, जो भी कम हो।
10	नैपसेक स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित)	50: या अधिकतम रू० 750.00, जो भी कम हो ।
11	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित)	50% या अधिकतम रू0 3800.00, जो भी कम हो।
12	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) 16 ली0 क्षमता	50% या अधिकतम रू0 10000.00, जो भी कम हो।
13	मल्टीक्रॉप थ्रेसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50% या अधिकतम रू० 100000.00, जो भी कम हो ।
14	थ्रेसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50% या अधिकतम रू० 100000.00, जो भी कम हो।

क्र.सं.	यंत्र का नाम	अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एव महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए.एम. के अनुसार
15	पैडी थ्रैसर (5 एच0 पी0 से कम)	50% या अधिकतम रू० 40000.00, जो भी कम हो।
16	थ्रैसर (5 एच.पी. से कम)	50% या अधिकतम रू० 40000.00, जो भी कम हो।
17	ट्रेक्टर 20 से 40 एच०पी०	50% या अधिकतम रू० 2.50 लाख, जो भी कम हो।
18	ट्रेक्टर 40 से 70 एच०पी०	50% या अधिकतम रू० 4.25 लाख, जो भी कम हो।
19	रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)	50% या अधिकतम रू० 2.50 लाख, जो भी कम हो।
20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू० 1.30 लाख, जो भी कम हो।
21	लेजर लेण्ड लेवलर	50% या अधिकतम रू० 2.00 लाख, जो भी कम हो।
22	सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू० 1.05 लाख, जो भी कम हो।
23	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम रू० 0.213 लाख, जो भी कम हो।
24	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम रू० 0.241 लाख, जो भी कम हो ।
25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.448 लाख, जो भी कम हो।
26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.476 लाख, जो भी कम हो ।
27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.504 लाख, जो भी कम हो ।
28	पलवराईजर आटा चक्की	60% या अधिकतम रू० 60000.00, जो भी कम हो ।
29	वाटर लिफ्टिंग पम्प 15 एच.पी. तक	50% या अधिकतम रू० 10000.00, जो भी कम हो ।
30	मंडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम रू० 10000.00, जो भी कम हो ।
31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम रू० 10000.00, जो भी कम हो।
32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू० 10000.00, जो भी कम हो ।
33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू० 1200.00, जो भी कम हो।
34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान ।

5.3 सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (SMSP) अन्तर्गत बीज ग्राम योजना

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीजों की कमी को पूरा करने के लिए बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदानित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराये जाते है तथा स्वयं के प्रक्षेत्रों पर ही बीज उत्पादन करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि कृषक गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग कर सके। इस हेतु बीज ग्राम योजना का संचालन किया गया है।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत बीज वितरण पर देय अनुदान का विवरण

क्र०सं०	फसल प्रजाति का नाम	फसलवार अनुदान की सीमा अधिकतम देय धनराशि जो भी कम हो
	धान्य फसल	बीज मूल्य का अधिकतम 50% या अधिकतम देय धनराशि जो भी कम हो प्रति एक एकड़/ कृषक
1	धान	रू0 1750 प्रति कुंतल
2	गेहूँ और जौ	रू0 1600 प्रति कुंतल
क्र०सं०	फसल प्रजाति का नाम	फसलवार अनुदान की सीमाध्अधिकतम देय धनराशि जो भी कम हो

3	मक्का, ज्वार और बाजरा	रू0 4000 प्रति कुंतल
4	मंडुवा दलहन फसल	रू0 2000 प्रति कुंतल बीज मूल्य का अधिकतम 60: या अधिकमतम देय धनराशि जो भी कम हो प्रति एक एकड़/कृषक
5	अरहर	रू0 5400 प्रति कुंतल
6	उर्द, मूंग, लोबिया, चना, मसूर, मटर, राजमा, गहत	रू0 4800 प्रति कुंतल
7	तिलहन फसल	बीज मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत या अधिकमतम देय धनराशि जो भी कम हो प्रति एक एकड़/कृषक
8	तोरिया/सरसों	रू0 4200 प्रति कुंतल
9	सोयबीन	रू0 3600 प्रति कुंतल
10	तिल	रू0 7800 प्रति कुंतल

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमः–** योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिस पर रू0 15000.00 का व्यय प्रस्तावित है ।
- **भण्डारण व्यवस्था (बुखारी):–**पर्वतीय विकासखण्डों में 02 कुंतल की क्षमता वाली बुखारी एवं मैदानी जनपदों के विकाखण्डों में 10 कुंतल क्षमता वाली बुखारी अनुदानित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी। 10 कुंतल क्षमता वाली बुखारी पर सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1500.00 अनुदान देय है तथा 02 कुंतल क्षमता वाली बुखारी पर सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 300.00 तथा अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत या अधिकतम रू0 400.00 अनुदान देय है।

6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

पीएमकेएसवाई को 'हर खेत को पानी' प्रदान करने और सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, यानी जल स्रोतों, वितरण नेटवर्क और खेत स्तर के अनुप्रयोगों में अंतिम समाधान प्रदान करने के आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को विकसित करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, जल स्रोतों का एकीकरण, वितरण एवं सही तकनीकी अपना कर जल का सदुपयोग करना, जल का अपव्यय रोक कर और जल की उपलब्धता बढाकर प्रक्षेत्र पर ही जल की क्षमता में वृद्धि करना, जल की हर बूंद का सदुपयोग करना, जल स्रोतों के रिचार्ज को बढ़ाना एवं टिकाऊ जल संरक्षण की जानकारी कराना, भूमि जल संरक्षण तथा जन सहभागिता से सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना है।

पी०एम०के०एस०वाई० (पर ड्रॉप मोर कॉप) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम एवं अनुदान मानक

क्र.सं.	कार्यमद	योजना में अनुदान के मानक	व्यय के मानक
1	जल संग्रहण संरचनायें		
	1– जल संरक्षण संरचनायें	NMSA	मूल्य का 100% या अधिकतम रू0 2.50 लाख/संरचना 01 है० कमांड क्षेत्रफल

क्र.सं.	कार्यमद	योजना में अनुदान के मानक	व्यय के मानक
	2– चौक डेम	NMSA	मूल्य का 100 % या अधिकतम रू0 2.5 लाख/इकाई जो भी कम हो
2	जल संवहन यंत्र 1–एच०डी०पी०ई० पाइप	NMSA	मूल्य का 50% या रू0 50/मी0 या अधिकतम रू0 12000/है०
3	**पूरक सिंचाई व्यवस्था** 1– जल पम्प	NMSA	मूल्य का 50% या अधिकतम रू0 15000/ इकाई
	2– टयूब वेल		
	अ– गहरी एवं उथली टयूब वेल ब– गहरी टयूब वेल	NMSA IWSA	मूल्य का 50% या अधिकतम रू0 25000/ इकाई मूल्य का 50% या अधिकतम रू0 100000/ इकाई
4	**जल संरक्षण का नवीनीकरण एवं मरम्मत**	NMSA	मूल्य का 50% या अधिकतम रू0 15000/ इकाई

7 किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. – किसान)" योजना लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में रू0 6000 (रूपये छः हजार मात्र) प्रति वर्ष की धनराशि रू0 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में डी.बी.टी. के माध्यम से स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिससे कृषक समय से खाद एवं बीज क्रय कर पायेंगे तथा उन्हें साहूकारों अथवा अन्य पर निर्भर नही रहना होगा

कौन हैं अयोग्य किसान?

पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, कुछ किसान इस योजना के तहत पात्र नहीं होते हैं. इसके लिए एक सीमा तय की गई है. अगर आप अयोग्य हैं तो आपको पीएम किसान योजना को छोड़ देना चाहिए.

- सभी संस्थागत भूमिधारक किसान
- परिवार में एक से ज्यादा लाभार्थी किसान
- संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग
- पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं जैसे लोग
- किसी सरकारी पदों पर काम करने वाले कर्मचारी
- 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले लोग
- आयकर का भुगतान करने वाले किसान
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी लाभ नहीं ले पाएंगे

8 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM&KMY)

योजना में 18 से 40 वर्ष तक के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों (महिला एवं पुरूष दोनों) के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की गई है, जो एक स्वैच्छिक अंशदायी स्कीम है। प्रतिभागी किसानों को अपनी आयु के आधार पर रू0 55.

00 से रू0 200.00 प्रति माह अंशदान करना होगा। प्रतिभागी किसान के अंशदान के बराबर धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक प्रतिभागी किसान को कम से कम रू0 3000.00 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी ।

9 कृषि अवसंरचना निधि – (AIF)

कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम – दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा को संगठित करना । योजनान्तर्गत वित्त पोषण की सुविधा के अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण पर 2 करोड़ रूपये तक की सीमा के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन दिये जाने का प्रावधान है। ब्याज सबवेंशन अधिकतम 07 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। 2 करोड़ रूपये से अधिक ऋण की दशा में ब्याज सबवेंशन 2 करोड़ रूपये तक के ऋण तक सीमित होगा ।

कृषकों हेतु राज्य पोषित योजनायें

(1) एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना

असिंचित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 से एकीकृत आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। योजना क्लस्टर आधारित है। एक क्लस्टर में कम से कम 100 कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक विकाखण्ड से एक ग्राम का चयन किया जायेगा। चयनित ग्राम में मॉडल विपेज के रूप में विकसित किया जायेगा। चयनित ग्रामों में कृषि, उद्यानीकरण, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, चारा उत्पादन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास, जैविक खेती, बीज उत्पादन, प्लान्टिंग मटीरियल, भेड एवं ऊन विकास, जड़ी–बूटी, सगन्ध पौध उत्पादन, विपणन, प्रशिक्षण, पोस्ट हार्वेस्ट आदि सम्मिलित होंगे।

(2) मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना

राज्य कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना एवं उसको बनाए रखना है। संक्षेप में योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंछित कार्यक्रमों की गैप फिलिंग द्वारा कृषकों को सहायता प्रदान करना।
2. राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।
4. केन्द्रीत कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज के अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
5. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
6. आवश्यकतानुसार अन्य कोई योजना जो राज्य के विकास हेतु आवश्यक हो।
7. इस योजना में भारत सरकार/राज्य द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर व्यय किया जायेगा ।

पात्रता, मापदण्ड – मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना स्कीम के तहत सम्बद्ध क्षेत्रों की सूची में क्षेत्रीय शस्यपालन (बागवानी सहित), पशुपालन और मात्स्यिकी, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, कृषि वानिकी एवं वन्य जीव रोपण एवं कृषि विपणन, खाद्य भण्डार एवं भांडागार, मृदा एवं जल संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रम और सहकारिता के निर्धारण के लिए आधार होगा। इसके अलावा ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास से संबंधित है।

(3) जल पम्प स्प्रिंकलर सेट, पॉली हाउस विविधीकरण योजना

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत कृषि यन्त्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 प्रतिशत अनुदान की राशि पर्वतीय जनपदों के कृषकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/जनजाति योजना चयनित किये गये ग्रामों में संचालित की जाती है। योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में कृषि निवेश/यंत्र तथा अन्य सुविधायें कृषक समूहों में शत–प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

बागवानी

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

केन्द्र पोषित योजनाएँ

अ. बागवानी मिशन

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
1.	पौधशाला की स्थापना	उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना के लिए राज सहायता उपलब्ध करना। 1. हाईटैक पौधशाला (2 से 4 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 50,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष होगा। 2. छोटी पौधशाला (0.1 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 25,000 पौध प्रति है0 प्रति वर्ष होगा।	1. रू. 2500 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 40 प्रतिशत) 2. रू. 1500 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) ऋण अनिवार्य	रू. 100.00 लाख रू. 15.00 लाख
2.	सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन करने हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना। ओपन पॉलीनेटिड फसल हाईब्रिड बीज	राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) रू. 35.000 प्रति है0 रू. 1.50 लाख प्रति है0	
3.	नये उद्यानों की स्थापना			
अ.	i फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। 1.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता 3 वर्षों में 60%20%20) 1.रू.50.000 प्रति है0 2.रू.30.000 प्रति है0	4 है0
	ii फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। 1.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता 3 वर्षों में 60%20%20) 1.रू.75.000 प्रति है0 2.रू.50.000 प्रति है0	
	iii फल क्षेत्रफल विस्तार (अति सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। 1.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता 3 वर्षों में 60%20%20)	

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		2.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	1.रू.1.00..000 प्रति है0 2.रू.62.5000 प्रति है0	
ब.	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संकर प्रजाति की सब्जी बीज उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार करना।	50 प्रतिशत अर्थात रू. 25.000/–प्रति है0	2 है0
स.	मसाला क्षेत्र विस्तार	कृषकों को मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कन्द उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार करना।	50 प्रतिशत अर्थात रू. 15.000/–प्रति है0	4 है0
द.	पुष्प क्षेत्र विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पाादन को बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार करना। 1.खुले पुष्प 2.डंडीयुक्त पुष्प 3.बल्बयुक्त पुष्प	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता) 1.रू. 20.000/–प्रति है0 2.रू. 50.000/–प्रति है0 3.रू. 75.000/–प्रति है0	2 है0
य.	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषकों की आय में वृद्धि करना। 1.मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत 2.कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत 3.स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत	(कुल लागत का राजकीय क्षेत्र हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु 40 प्रतिशत राज सहायता देय है) 1. रू. 20.00 लाख प्रति इकाई 2. रू. 20.00 लाख प्रति इकाई 3. रू. 15.00 लाख प्रति इकाई	0.1 इकाई
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोधार	पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोधार उत्पादन में वृद्धि करना।	50 प्रतिशत अथवा रू. 20.000/–प्रति है0	0.2 है0
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था			
अ.	ट्यूबवेल स्थापना/पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवेल की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान करना।	50 प्रतिशत अथवा रू. 90.000/–प्रति इकाई	1 नग

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
6.	संरक्षित खेती			
अ.	ग्रीन हाऊस निर्माण	संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता प्रदान करना। विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम पॉलीहाऊस	कुल लागत का 50 प्रतिशत। 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत रू. 1650.00/–प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 1465/– प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 1420.00/– प्रति वर्ग मीटर, 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 1400.00/– प्रति वर्ग मीटर (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर पॉलीहाऊस	कुल लागत का 50 प्रतिशत। 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत रू. 1060.00/–प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 935.00/– प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 890.00/– प्रति वर्ग मीटर, 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 844.00/– प्रति वर्ग मीटर (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
ब.	शेड नेट हाऊस	ट्यूबलर बनावट, प्रकाष्ठ संरचना एवं बॉक्स की संरचना पर राज सहायता प्रदान करना।	कुल लागत का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	400 वर्ग मीटर

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		–ट्युबलर स्ट्रक्चर –लकड़ी का ढ़ांचा –बांस का ढ़ांचा	–रू. 170 प्रति वर्ग मीटर –रू. 492 प्रति वर्ग मीटर –रू. 360 प्रति वर्ग मीटर	
स.	एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु एन्टी हेल नेट पर राज सहायता उपलब्ध कराना।	50 प्रतिशत या अधिक तक रू. 17.50/– प्रति वर्ग मीटर	5000 वर्ग मीटर
द.	प्लास्टिक मल्चिंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक सीट से ढकना	रू. 32.000 प्रति है0 का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	02 है0
य.	संरक्षित खेती के लिए रोपण की व्यवस्था	सब्जी पौध	रू. 140 प्रति वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर
7.	मौन पालन	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परम्परागत एवं शहद उत्पादन हेतु मौन वंश में व मौन कॉलोनी पर राज सहायता प्रदान करना।	कुल लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम रू. 800/प्रति मौन वंश व प्रति मौन कॉलौनी	50 कॉलौनी
8.	औद्यानिक यंत्रीकरण	विभिन्न औद्यानिक मशीनों/पॉवर टिलर/ट्रैक्टर/औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि हेतु राज सहायता प्रदान करना।		
		ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	1 इकाई
		पॉवर टिलर (8 बी0ण्च0पी0 तक)	रू. 1.00.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 से अधिक)	रू. 1.50.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा	

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
			40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण एवं बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण	रू. 30.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन	रू. 2.50.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	
9.	तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	औद्यानिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन के माध्यम से प्रसार करना।	रू. 25.00 लाख (राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 75 प्रतिशत)	1 इकाई
10.	मानव संसाधन			
अ.	प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य के अन्दर – रू. 1.000 प्रति दिन प्रति प्रशिक्षणार्थी (यात्रा देयक सहित) राज्य के बाहर–प्रस्ताव के अनुसार	
ब.	भ्रमण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम	प्रस्ताव के अनुसार	
11.	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु	पैक हाऊस (9 मी0 X 6 मी0)	कुल लागत रू. 4.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात 2.00 लाख प्रति लाभार्थी	01 इकाई
		प्री कूलिंग इकाई (6 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 25.00 लाख प्रति यूनिट का	

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
			50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड रूम (30 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 15. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड स्टोरेज यूनिट 1. बेसिक टाईप – सिंगल टैम्रेचर जोन (5.000 मैट्रिक टन तक) 2. मल्टीपल टैम्परेचर जोन (5.000 मैट्रिक टन तक) 3. कन्ट्रोल्ड एटमोस्फेयर स्टोरेज (5.000 मैट्रिक टन तक)	(ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी) 1.कुल लागत रू. 8000/प्रति मैट्रिक टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु। 2.कुल लागत रू. 10. 000/प्रति मैट्रिक टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु। 3. कुल लागत रू. 20. 000/प्रति मैट्रिक टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु।	

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		रेफरवेन/कन्टेनर	कुल लागत रू. 26.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		प्राईमरी/मोबाईल प्रोसेगिंग यूनिट	कुल लागत रू. 25.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 44 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		राईपनिंग चैम्बर (300 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 1.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		ईवोपोरेटिव/लो एनर्जी कूल चैम्बर	कुल लागत रू. 5.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 2.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली संरक्षण (प्रीजरवेशन) इकाई की स्थापना	कुल लागत रू. 2.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 1.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रकचर (25 मैट्रिक टन) इकाई की स्थापना	कुल लागत रू. 1.75 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 0.875 लाख प्रति लाभार्थी	
		पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 किग्रा0)	कुल लागत रू. 4.000/प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 2.000/प्रति लाभार्थी	

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन एण्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेनट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स	कुल लागत रू. 600.00 लाख का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
12.	विपणन हेतु	टर्मिनल मार्केट	रू. 150.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40 प्रतिशत (परियोजना आधारित)	1 इकाई
		होलसेल मार्केट	रू. 100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33.33 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 25 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		अपनी मण्डी/रूरल मार्केट की स्थापना	रू. 25.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		रिटेल मार्केट/आउटलेट	रू. 15.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		स्टेटिक मोबाईल बेडिंग कार्ड/प्लेटफार्म (कुल चैम्बर सहित)	रू. 30.000/प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 15.000 प्रति लाभार्थी	
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर कलैक्शन, सोर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	रू. 15.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु	

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
			(ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		क्वालिटी कन्ट्रोल/एनालिसिस लैब	पब्लिक सैक्टर के लिए रू. 200.00 लाख प्रति यूनिट का 100 प्रतिशत अर्थात 200.00 लाख प्रति लाभार्थी, प्राइवेट सैक्टर के लिए रू. 200.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 100.00 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	रू. 15.00 लाख प्रति किमी0 का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	रू. 800.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 400.00 लाख प्रति लाभार्थी	1 इकाई

ब – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत
Per Drop More Crop योजना

क्र.सं.	योजना	उद्देष्य	राज सहायता का विवरण	देय राज सहायता का प्रतिषत		अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
				सामान्य कृषकों हेतु	लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु	
1.	क्षेत्र विस्तार					
अ.	टपक (ड्रिप) सिंचाई	पौधों की आवश्यकतानुसार जल एवं खाद का वितरण उनकी जड़ों तक पहुँचाते हुए कम समय में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई खरपतवार नियंत्रण एवं गुणवत्ता उत्पादन एवं पैदावार में वृद्धि करना।	रू. 27158 से रू. 158489 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	0.4 है0 तथा अधिकतम 5 हैक्टेयर
ब.	पोर्टेबल स्प्रिंकलर		रू. 24427.50 से रू. 27376.25 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	उक्त
स.	माइक्रो स्प्रिंकलर		रू. 73665 से रू. 84026 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	उक्त
द.	मिनी स्प्रिंकलर		रू.106515 से रू. 117535 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	उक्त
य.	रेन गन		रू. 35851 से रू. 43141 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	उक्त

स – परम्परागत कृषि विकास योजना

1. कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए परम्परागत खेती को बढ़ावा।
2. प्रति कलस्टर 20 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादन।
3. राज सहायता – रू. 50.000 प्रति हैक्टेयर (प्रथम वर्ष–16500, द्वितीय वर्ष–17000 व तृतीय वर्ष–16500)।
4. कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित रिपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से कास्तकारों का 03 चरणों में प्रशिक्षण व भ्रमण।
5. प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा।

द – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना

योजना का उद्देश्य	योजना में पात्रता	योजना के मानक	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा
	1. मौजूदा या नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम जैसे कि स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/भागीदार फर्म/एफ0पी0ओ0/एन0जी0ओ0/सहकारिता/एस0एच0जी0/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आदि। 2. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। 3. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में स्वयं पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। 4. यदि आवेदक ने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुड़ी योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण के लिए एवं ब्याज सबवैंशन तथा टॉप अप कनवर्जेन्शन के लिए पात्र है। मौजूदा इकाईयों के उन्नयन/विस्तार हेतु बैंकों द्वारा पुर्नगठन के लिए अहंता प्राप्त करने वाले आवेदन भी योजना अन्तर्गत पात्र है।	निजी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु केडिट लिंक्ड अनुदान	35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी (90 प्रतिशत केन्द्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान)	10 लाख
		खाद्य प्रसंस्करण आधारित स्वंय सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी हेतु सहायता	रू. 40.000/– प्रति सदस्य (90 प्रतिशत केन्द्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान)	रू. 4.00.000
		कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एफ.पी.ओ./एस.एच.जी. सहकारिता सरकारी ऐजेंसी एवं निजी उद्यमियों को कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर (कृषि उपज की जाँच, छटाई, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं इन्क्यूबेशन सेंटर) स्थापित करने हेतु क्रेडिट लिंक्ड अनुदान	35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी योग्य परियोजना लागत पर (90 प्रतिशत केन्द्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान)	3 करोड़ परियोजना लागत, अधिकतम 10 करोड़

योजना का उद्देश्य	योजना में पात्रता	योजना के मानक	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा
		खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मार्केटिंग एवं ब्राडिंग को प्रात्साहित करने हेतु एफ.पी.ओ./एस.एच.जी, सहकारिता समिति एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को विपणन, ब्राडिंग, पैकेजिंग आदि विकसित करने हेतु सहायता	50 प्रतिशत अनुदान	योग्य परियोजना लागत पर
		क्षमता निर्माण: योजनान्तर्गत लाभार्थियों को क्षमता निर्माण (खाद्य प्रसंस्करण) हेतु प्रशिक्षण	शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान	24 घंटे/3 दिवसीय प्रशिक्षण
		स्वयं सहायता समूह व सहकारिता समितियों को क्षमता निर्माण (खाद्य प्रसंस्करण) हेतु प्रशिक्षण		8घंटे/1 दिवसीय प्रशिक्षण

2 – वाह्य सहायतित परियोजना

उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना	वित्त पोषण JICA
भारत सरकार की स्वीकृति	JICA ds Rolling plan में शामिल (जून, 2022)
परियोजना लागत	रू. 251.71 करोड़ से बढ़कर रू. 526.00 करोड़
परियोजना का वित्तीय अंश	90:10
परियोजना क्षेत्र	04 जनपद (नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी)
परियोजना स्वीकृत/ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित	31–03–2022

JICA परियोजना में सम्मिलित मुख्य गतिविधियाँ

घटक	भौतिक लक्ष्य
सिंचाई सुविधाओं का विकास	• जल स्त्रोतों का सृजन (1886) • ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना (1545 है0) • स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली की स्थापना (545 है0)
संरक्षित खेती	• जल स्त्रोतों का सृजन (1886) • ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना (1545 है0)

घटक	भौतिक लक्ष्य
	• स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली की स्थापना (545 है0)
समेकित कीटनाशी जीव प्रबन्धन व मशीनीकरण	• समेकित कीटनाशी जीव प्रबन्धन (7775 है0) • फार्म मशीनरी बैंक स्थापना (16)
सप्लाई चैन अवस्थापना सृजन	• पैक हाऊस (16), कोल्ड रूम (20), रिफर वैन (16), आउटलेट (02) • रूरल मार्केट/अपनी मण्डी (08) • खाद्य प्रसंस्करण इकाई (02)
ICT, MIS & GIS	• अनुश्रवण हेतु MIS & GIS व्यवस्था • उद्यान सचल दल केन्द्रों का ICT के माध्यम से आधुनिकीकरण (34)
प्रशिक्षण, अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	• SHEP मॉड्यूल, आजीविका संवर्धन (मशरूम व मौन पालन) व पोषण प्रबन्धन • सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (08)

3 – जिला सैक्टर की योजनाएँ

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
1.	उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधशाला विकास	1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर सहायता	शत प्रतिशत	आवश्यकता अनुसार
		2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण	50 प्रतिशत	रू. 20000 प्रति है0
		3. पौध सुरक्षा हेतु दवाईयों का वितरण	60 प्रतिशत	रू. 5000 प्रति है0
		4. कुरमुला कीट नियंत्रण	60 प्रतिशत	रू. 1800 प्रति है0
		5. औद्यानिक औजार वितरण	50 प्रतिशत	रू. 1200 प्रति है0
		सिंचाई हेतु 3x2x1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	रू. 24.500 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत	रू. 12250 प्रति टैंक
2.	फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना	फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य कदलाने हेतु प्लास्टिक केट्स, किल्टे पैकिंग हेतु	50 प्रतिशत	अधिकतम 10 प्रति लाभार्थी

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		फल सब्जियों का प्रसंस्करण	लाभ–हानि रहित	फल सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु रू. 15/किग्रा0
		मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध कराना	50 प्रतिशत	200 वर्ग फीट उपयुक्त गेज की पॉलीथीन
		फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत प्रतिशत	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू. 350/प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू. 700/–सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा।
3.	प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	1. उद्यान विकास–व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश वितरण	50 प्रतिशत	प्रति लाभार्थी 02 है0 से 20 है0 तक अधिकतम रू. 30.000 प्रति है0
		2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50 प्रतिशत	प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तक अधिकतम मैदानी क्षेत्र–रू. 25.000/है0 पर्वतीय क्षेत्र–रू. 40.000/है0

4 – राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
1.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजनाओं पर 20 प्रतिशत राज्यांश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एपीडा आदि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर मैचिंग ग्रान्ट की व्यवस्था। (व्यवसायिक बागवानी, उत्तर फसल प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण आदि)	20 प्रतिशत प्रति परियोजना	रू. 4.00 लाख प्रति परियोजना
2.	मधुमक्खी पालन	1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए	रू. 350 प्रति बॉक्स	04 बॉक्स

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बॉक्सों को रखा जाने हेतु परिवहन पर		
		2. मौन बॉक्स, मौन कॉलौनियों का वितरण।	50 प्रतिशत	रू. 8000.00/बॉक्स (10 मौनगृह/वंश)
		3.कृषकों को सात दिवसीय प्रशिक्षण	–	रू. 1050/लाभार्थी
3.	उद्यानों की घेरबाड़ की योजना	जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राज सहायता।	50 प्रतिशत	रू. 100000/है0
4.	बाजार हस्तक्षेप योजना	उद्यानपतियों से, सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर क्रय व्यवस्था	लाभ/हानि रहित	शासन से निर्धारित दरों के अनुसार
5.	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	1. मशरूम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना	50 प्रतिशत	50 कुन्तल प्रति लाभार्थी
		2. स्पान (बीज) वितरण	50 प्रतिशत	25 किग्रा. स्पान प्रति लाभार्थी
		3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत प्रतिशत	1050/लाभार्थी
6.	फसल बीमा योजना	औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आड़ू, माल्टा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना।	प्रीमियम का 50 प्रतिशत	कृषकों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 5 प्रतिशत
7.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी एवं मसाला उत्पादन की योजना	सब्जी एवं मसाला की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन	निःशुल्क	0.1 है0 एवं रू. 300/प्रति फसल
8.	मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश	पॉलीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करने पर 80 प्रतिशत रा0स0 500	(50% केन्द्रांश बागवानी मिशन +30% राज्यांश)	रू. 609.50 रू. 365.70

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		वर्ग मीटर अधिकतम पर।		
9.	बोरवैल स्थापना की योजना	सिंचाई सुविधा हेतु कृषकों को बोरबेल स्थापना हेतु सहायता। (रू. 75.000/केन्द्रांश + रू. 24.000 राज्यांश प्रति इकाई)	रू. 1.0 लाख प्रति इकाई	01 इकाई
10.	पॉलीहाऊस के पॉलीथीन बदलाव की योजना	कृषकों के पाँच वर्ष से अधिक पुराने पॉलीहाऊस की जीर्ण–शीर्ण पॉलीथीन बदलने हेतु सहायता	पॉलीथीन लागत रू. 50/वर्गमीटर का 75 प्रतिशत	4000 वर्ग मीटर पर रू. 1.5 लाख
11.	पौधरोपण की योजना	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फल पौध वितरण	शत प्रतिशत	कृषकों को 05 पौधे एवं राजकीय संस्थानों पर 50 पौधे तक
12.	वर्मीकम्पोस्ट की योजना	वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25% प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू. 1.00 लाख प्रति इकाई का 75 प्रतिशत	–
13.	एन्टी हेलनेट की योजना	कृषकों/उद्यानपतियों की फसलों को ओला वृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट के क्रय हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू. 35.00 प्रति वर्ग मीटर का 75 प्रतिशत	5.000 वर्ग मीटर के0र0 रू. 17.50 राज्यांश रू. 8.75
14.	फल पौधशालाओं की स्थापना	राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नई फसल पौधशालाओं की स्थापना।	रू. 15 लाख प्रति हैक्टेयर का 50 प्रतिशत	10 है0 हेतु राज सहायता रू. 7.50 लाख। छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राज सहायता

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
15.	जैविक बागवानी की खेती योजना	जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना।	रू. 20.000 प्रति है0 का 50 प्रतिशत	प्रति है0 रू.10.000 अधिकतम
16.	अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों के सर्वांगीण विकास हेतु मिशन	राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकानट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना (0.2 से 1 है0 तक)	व्यक्तिगत क्षेत्रों हेतु रू. 15 लाख प्रति है0 का 50 प्रतिशत एवं राजकीय क्षेत्रों हेतु 100 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु रू. 660000 प्रति है0	1.0 है0 रा0स0 रू. 7.50 लाख। अधिकतम क्षेत्रफल विस्तार पर रू. 30.000
17.	मृदा प्रयोगशाला एवं परीक्षण कार्य की योजना	चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा नमूना का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना।	राज्य सैक्टर में शत प्रतिशत	मृदा परीक्षण शुल्क प्रति सैंपल रू. 7 मुख्य तत्वों हेतु एवं रू. 7 मुख्य तत्वों हेतु कृषकों से लिया जायेगा।
18.	मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को उनकी निजी भूमि पर उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देना।	प्रोत्साहन राशि रू. 700 प्रति कुन्तल	रू. 07/– प्रति किग्रा0
19.	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना करना तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मुहैया कराना	रू. 33.300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत	–
20.	मिशन एप्पल योजना	प्रदेश में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा	रू. 12 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत	01 एकड़ तक रू. 9. 600

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उचच सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। 1600 पौधे प्रति एकड़ 1X25 मिनट)		
21.	कीवी मिशन CM RKVY योजना के अन्तर्गत स्वीकृत	प्रदेश के उच्च तकनीकी द्वारा कीवी उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए कीवी के उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। (1600 पौधे प्रति एकड़ 1X25 मीटर)	रू. 12 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत	0.10 है0 से 0.40 है0 (5 नाली से 20 नाली तक)
22.	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास (वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ)	औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं–	–	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास (वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ)
		1. फल पौध, खुले खेत हेतु सामग्री बीज, मसाला बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता।	50 प्रतिशत सहायता	
		2. कीट व्याधिनाशक रसायनों आदि पर	60 प्रतिशत सहायता	

क्र.सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
		कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता।		
		3. कुल हाऊस (क्षमता–30 मै0 टन) पर कुल लागत रू. 15.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह, आदि को	50 प्रतिशत सहायता	
		4. रेफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता–9 मै0 टन) पर कुल लागत रू. 26.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह, आदि को	50 प्रतिशत सहायता	

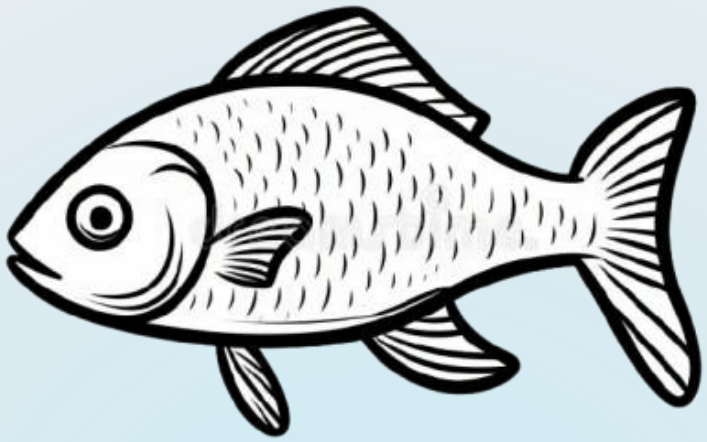

मत्स्य पालन

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

जिला सैक्टर योजनाऐं

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
1.	**जलाशय का विकास योजनान्तर्गत**			
क)	समन्वित मत्स्य पालन योजना	अनुदान	समन्वित मत्स्य पालन– मैदानी जनपदों में 0.20 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर बाड़ा निमार्ण, बन्धों पर पेड़ लगाये जाने एवं प्रथम वर्षीय निवेश पर होने वाले व्यय धनराशि रू0 91,000.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रू0 45,000.00 का अनुदान देय होगा।	प्रति व्यक्ति 01 यूनिट तक का अनुदान देय हैं।
ख)	मत्स्य पालन सशक्तीकरण योजना	अनुदान	1. इन्सुलेटेड बॉक्स– इन्सुलेटेड बॉक्स की लागत रू0 6,000.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि रू0 3,000.00 अनुदान देय होगा। 2. एरियेटर – एरियेटर लागत धनराशि रू0 60,000.00 या बाजार भाव पर 50 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि रू० 30,000.00 अनुदान देय होगा । 3. मिनी किट – मिनी किट लागत धनराशि रू0 10,000.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि रू0 5,000.00 अनुदान देय होगा।	1. एक लाभार्थी को अधिकतम 01 तथा समिति को अधिकतम 02 इन्सुलेटेड बॉक्स उपलब्ध कराये जा सकेगें। 2. एक लाभार्थी को सामान्यतः 01, अथवा सम्बन्धित तालाब का 01 हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल होने पर अधिकतम 02 तथा एक समिति को 2.00 हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल होने पर अधिकतम 04 एरियेटर उपलब्ध कराये जा सकेगें। 3. एक लाभार्थी अथवा समिति को अधिकतम 01 मिनीकिट उपलब्ध करायी जा सकेगी।
ग)	मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना	अनुदान	तालाब सुधार कर रियरिंग यूनिट निर्माण – योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में तालाबों का सुधार हेतु कुल लागत धनराशि रू0 40,000.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान धनराशि रू० 20,000.00 देय होगा।शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।	एक लाभार्थी को 100 वर्ग मीटर की अधिकतम तीन यूनिट देय होगी।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
2	अनुसूचित जाति उपयोजना मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम (एस०सी०एस०पी०) अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण /फिल्ड /ट्रिप		प्रशिक्षण – पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति 50 प्रशिक्षणाथियों/ 01 बैंच हेतु धनराशि रू0 4.25 लाख का व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
			फील्ड भ्रमण – प्रति मत्स्य पालक धनराशि रू0 15,000/– की दर से फील्ड ट्रिप पर व्यय।	लाभाथियों को निःशुल्क 05–07 दिवस के राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालन की व्यवहारिक जानकारी हेतु फील्ड भ्रमण।
			सेमिनार /गोष्ठी – धनराशि रू0 15,000/– की दर से प्रति सेमिनार /गोष्ठी पर व्यय।	मत्स्य पालन व मात्स्यिकी विकास की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार कार्य।
3	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (एस०सी०एस०पी०)	अनुदान	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्ग मी0 /0.01 हैं० / यूनिट) – प्रति यूनिट तालाब सुधार धनराशि रू0 0.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 0.70 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 03 यूनिट तक का अनुदान देय है।
			मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 3.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 5.00 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 05 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक का अनुदान देय है।
			पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			कुल लागत धनराशि रू0 1.39 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	
			मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू0 6.60 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है।
			उत्पाद प्रसंस्करण हेतु मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना – मोबाईल लागत धनराशि फिश स्टॉल की स्थापना रू0 2.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना हेतु अनुदान देय है।
			प्रचार–प्रसार एवं साहित्य वितरण – प्रति जनपद अधिकतम धनराशि रू0 0.20 लाख का व्यय।	इस मद अन्तर्गत योजना का साहित्य, पैम्पलेट, बुकलेट, होर्डिग आदि लगाकर प्रचार–प्रसार कार्य।

राज्य सैक्टर योजनाऐं

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
1.	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना।	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	क्लस्टर आधारित तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश–प्रति 01 क्यूबिक मीटर का तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु धनराशि रू0 0.01 लाख पर सभी वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत का अनुदान।	1.पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 धन मीटर तक का अनुदान देय है। 2.एक गांव में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें तथा अधिकतम तालाबों की कोई सीमा नही होगी।
			प्रशिक्षण – पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति लाभार्थी धनराशि रू0 150 /– प्रति दिवस की दर से मानदेय देय होगा।	लाभार्थियों को मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
			फील्ड भ्रमण – प्रति मत्स्य पालक धनराशि रू0 10,000 /– की दर से फील्ड ट्रिप पर व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क 05–07 दिवस के राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालन की व्यवहारिक जानकारी हेतु फील्ड भ्रमण।
			सेमिनार/गोष्ठी – धनराशि रू0 10,000/– की दर से प्रति सेमिनार / गोष्ठी पर व्यय।	मत्स्य पालन व मात्स्यिकी विकास की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार कार्य।
2.	अनुसूचित जाति उपयोजना मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम (एस०सी०एस०पी०)।	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	क्लस्टर आधारित तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश – प्रति 01 क्यूबिक मीटर का तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु धनराशि रू0 0.01 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 धन मीटर तक का अनुदान देय है। एक गांव में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें तथा अधिकतम तालाबों की कोई सीमा नही होगी।
			मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्यजीवी सहकारी

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 8.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	समिति को अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
3.	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (टी०एस०पी०)	अनुदान	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्ग मी०/0.01 हैं० / यूनिट) – प्रति यूनिट तालाब सुधार धनराशि रू0 0.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 0.70 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 03 यूनिट तक का अनुदान देय है।
			मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 3.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 5.00 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 05 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक का अनुदान देय है।
			पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू0 1.39 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है ।
			मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू० 6.60	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	
			उत्पाद प्रसंस्करण हेतु मोबाईल मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना – मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना हेतु लागत धनराशि फिश स्टॉल की स्थापना हेतु अनुदान देय है। रू0 2.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना हेतु अनुदान देय है।
			प्रचार–प्रसार एवं साहित्य वितरण – प्रति जनपद अधिकतम धनराशि रू0 0.20 लाख का व्यय।	इस मद अन्तर्गत योजना का साहित्य, पैम्पलेट, बुकलेट, ब्राउसर, होर्डिंग आदि लगाकर प्रचार–प्रसार कार्य।
4.	अनुसूचित जनजाति थारू, बोक्सा उप योजना राजि, जनजातियों के लिए (टी०एस०पी०)	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	क्लस्टर आधारित तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश–प्रति 01 क्यूबिक मीटर का तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु धनराशि रू0 0.01 लाख पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	**1.**पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 घन मीटर तक का अनुदान देय है। **2.**एक गांव में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें तथा अधिकतम तालाबों की कोई सीमा नही होगी।
5.	अनुसूचित जनजाति थारू, बोक्सा उप योजना राजि, जनजातियों के लिए (टी०एस०पी०)	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 8.50 लाख पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति को अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
			प्रशिक्षण – पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति 50 प्रशिक्षणार्थियों/01 बैच हेतु धनराशि रू0 4.25 लाख का व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			फील्ड ट्रिप – प्रति मत्स्य पालक धनराशि रू0 15,000/– की दर से फील्ड ट्रिप पर व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क 05–07 दिवस के राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालन की व्यवहारिक जानकारी हेतु फील्ड भ्रमण।
			सेमिनार/गोष्ठी – धनराशि रू० 15,000/ – की दर से प्रति सेमिनार/गोष्ठी पर व्यय।	मत्स्य पालन व मात्स्यिकी विकास की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार कार्य।
6	राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना	अनुदान / सामग्री	संतुलित मत्स्य आहार वितरण – योजनान्तर्गत पूरक मत्स्य आहार प्रणाली को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मत्स्य पालकों को 50 प्रतिशत अनुदानित दरों पर मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाता हैं।	1.पर्वतीय क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम 0.01 हैक्टेयर तालाब हेतु 01 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। 2.मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम 0.05 हैक्टेयर तालाब हेतु 06 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। 3.मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम 0.20 हैक्टेयर तालाब हेतु 10 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। 4.स्थापित बायोफ्लॉक यूनिट के 01 टैंक (न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर) हेतु 07 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। एक मत्स्य पालक को 02 टैंक हेतु लाभ दिया जायेगा। 5.स्थापित आर०ए०एस० यूनिट के 01 टैंक (न्यूनतम 30 क्यूबिक मीटर) हेतु 23 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। एक मत्स्य पालक को

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
				02 टैंक हेतु लाभ दिया जायेगा। 6.पर्वतीय क्षेत्र में एक यूनिट ट्राउट रेसवेज टैंक (50 क्यूबिक मीटर) हेतु को अधिकतम 05 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। व्यक्तिगत मत्स्य पालक को 02 यूनिट एवं समिति को 04 यूनिट रेसवेज हेतु लाभ दिया जायेगा
			जाल, हैण्डनेंट एवं हापा – तालाब के आकार के अनुसार मत्स्य पालको/ समितियों / फेडरेशन को जाल, हैण्डनेंट, दवाईयों एवं हापा के क्रय लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं।	मत्स्य पालको को अनुदानित दरों पर जाल, हैण्डनेंट, दवाईयों एवं दवाईयों एवं हापा आदि की उपलब्धता।

विकेन्द्रपोषित योजनाऐं:

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
1	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित)	अनुदान	1. फिश सीड रियरिंग यूनिट का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख यह योजना समस्त जनपदों में संचालित अर्थात् कुल धनराशि रू0 11.00 लाख का व्यय के सापेक्ष की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40	यह योजना समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी को न्यूनतम क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर (अथवा 0.20 हैक्टेयर) से 0.50 हैक्टेयर तक के आकार का नये रियरिंग तालाब निर्माण हेतु अधिकतम क्षेत्रफल 2.00 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समूह / समितियों को 2 हैक्टेयर X समिति के के सदस्य के समतुल्य अथवा अधिकतम 20 हैक्टेयर हैक्टेयर तक का

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	अनुदान देय होगा। निर्मित किये जाने वाले तालाबों की न्यून्तम गहराई 1.5 मीटर होगी। मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
		अनुदान	**2.** नये ग्रोआउट तालाब का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 अर्थात् कुल धनराशि रू० लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख 11.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**3.** परमानेन्ट फार्मिंग यूनिट/ट्राउट रेसवेज का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (50 क्यूविक मी0/यूनिट) – प्रति यूनिट (50 क्यूविक मी० क्षेत्रफल) के निर्माण धनराशि रू0 3.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 2.50 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 5.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी/ उद्यमी को अधिकतम 04 यूनिट तथा सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/समूह/ऐजेन्सीज् (जसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो तथा 1 डज प्रति रेसवेज मत्स्य उत्पादन क्षमता हों) को अधिकतम 20 यूनिट ट्राउट रेसवेज का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश तक का अनुदान देय है।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**4.** ट्राउट फिश हैचरी की स्थापना – प्रति यूनिट ट्राउट हैचरी निर्माण धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	ट्राउट फिश हैचरी की स्थापना हेतु लाभार्थी के पास 0.40 है0 (4000 वर्ग मी०) क्षेत्रफल की भूमि तथा 10 लाख ट्राउट फिश फ्राई प्रति वर्ष अथवा 15 लाख ट्राउट फिश आईड। ओवा उत्पादन की क्षमता हों। प्रति लाभार्थी को 01 यूनिट तक का अनुदान देय होगा। मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
		अनुदान	5. पंगेशियस मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्षीय निवेश प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
		अनुदान	6. एकीकृत मत्स्य पालन हेतु निवेश सहायता – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का तथा ग्रुप/समिति को 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
		अनुदान	7. मीठाजल क्षेत्रों में बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण (including Inputs of Rs- 4-0 lakhs / Ha) – प्रति 0.10 हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 10.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 14.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	यह योजना समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी/इर्न्टप्रयूनर/मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी०एस० आदि को न्यून्तम क्षेत्रफल 0. 10 हैक्टेयर तक के के नये बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हेतु अनुदान देय
		अनुदान	8. लार्ज आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (08 टैक/यूनिट, न्यूनतम 90 धन मी० प्रति टेंक, उत्पादन क्षमता 40 टन	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (08 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 90 घन

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			प्रति क्रॉप) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (50 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष कुल 20 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा कुल 25 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	मी० प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (50 टैंक, 4 मी० परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	**9.** मीडियम आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (06 टैक/ यूनिट, न्यूनतम 30 घन मी० प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति क्रॉप) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (25 टैंक, 4 मी० परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (06 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 30 धन मी0 प्रति टेंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (25 टैंक, 4 मी० परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	**10.** लघु आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (01 टैक/यूनिट, न्यूनतम 100 घन मी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (07 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 02 यूनिट (01 टैक / यूनिट, न्यूनतम 100 घन मी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (07 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 7.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	11. बैंकयार्ड मिनी आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (01 टैक /यूनिट, न्यूनतम 30 घन मी0 प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 0.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 04 यूनिट (01 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 30 घन मी० प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	**12.** शीतजल का मिडियम आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (04 टैक/यूनिट, न्यूनतम 50 घन मी0 प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 04 टन प्रति क्रॉप) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख का व्यय के सापेक्ष	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (04 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 घन मी० प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समिति / सोसाईटी/ग्रुप को 02 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**13.** शीतजल का लार्ज आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (10 टैक/यूनिट, न्यूनतम 50 घन मी० प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति क्रॉप) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (10 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 घन मी० प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समिति / सोसाईटी/ग्रुप को 02 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	**14.** मीठाजल फिश हैचरी की स्थापना (उत्पादन क्षमता – 15 मिलियन फ्राई/वर्ष/यूनिट अथवा 6 करोड़ स्पॉन/वर्ष/यूनिट) – भारत सरकार के निर्धारित मानक अनुसार रू0 25.00 लाख प्रति फिश हैचरी की स्थापना पर व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य	एक व्यक्ति को अधिकतम 01 यूनिट देय है।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			वर्ग के लाभार्थी हेतु तथा 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा।	
		अनुदान	**15.** जलाशयों में केज की स्थापना – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार रू0 3000 /– प्रति घन मीटर केज निर्माण एवं निवेश का व्यय किया जाना है, जिसके कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/ पंजीकृत उद्यमी हेतु तथा कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा।	यह योजना वर्तमान में समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 1800 घन मीटर केज निर्माण एवं निवेश तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी०स०/ जे०एल०जी, स०, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 7200 क्यूबिक मीटर केज निर्माण एवं निवेश तक का अनुदान देय होगा ।
		अनुदान	**16.** खुले जलक्षेत्रों में पैन कल्चर – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार रू0 3.00 लाख प्रति हैक्टेयर में पैन कल्चर की स्थापना पर व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/ पंजीकृत उद्यमी हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा।	यह योजना वर्तमान में समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी०स० जे०/एल०जी, स०, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा ।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
		अनुदान	**17.** शीतजल क्षेत्रों में केज की स्थापना (केज की स्थापना एवं प्रथम वर्षीय निवेश) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार रू0 5.00 लाख प्रति केज का व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/ पंजीकृत उद्यमी हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एक केज की साईज – 6X4X4 घन मीटर होगी।	यह योजना वर्तमान में समस्त पर्वतीय जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान अधिकतम 05 केज तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी,स० जे०/एल०जी,स०, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 50 केजों तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	**18.** जलाशयों/आर्द्र भूमि (Wet land) में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय (@1000 FL / Ha ¼ 3-0 / 1 lakh FL) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार रू0 3.00 प्रति मत्स्य अंगुलिका की दर से व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक ग्रुप/ पंजीकृत उद्यमी /मत्स्य समिति हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60	छोटे एवं मीडियम आकार के जलाशयों में संचय कार्यक्रम।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग के ग्रुप/ रजिस्टर्ड इन्टरप्रुन्युर/मत्स्य समिति/लाभार्थी हेतु देय होगा।	
		अनुदान	**19.** मिनी फिश फीड मिल की स्थापना (उत्पादन क्षमता – 02 टन प्रति दिवस) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार प्रति मिनी फिश फीड मिल की स्थापना हेतु धनराशि रू0 30.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति व्यक्ति 01 फिश फीड मिल की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	**20.** मीडियम फिश फीड मिल की स्थापना (उत्पादन क्षमता–08 टन प्रति दिवस) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार प्रति मिनी फिश फीड मिल की स्थापना हेतु धनराशि रू0 100. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित	प्रति व्यक्ति 01 फिश फीड मिल की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**21.** रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्रय–भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार प्रति रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्रय हेतु धनराशि रू0 25. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	प्रति लाभार्थी 01 रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्रय तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	**22.** इन्सुलेटेड वाहन क्रय–भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार प्रति इन्सूलेटेड वाहन कय हेतु धनराशि रू0 20.00 तक लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	प्रति लाभार्थी 01 इन्सुलेटेड वाहन क्रय तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	**23.** मोटर साईकिल विद् आईस बॉक्स का कय–निर्धारित मानक अनुसार प्रति मोटर साईकिल विद् आईस बॉक्स का क्रय हेतु	प्रति लाभार्थी 01 मोटर साईकिल विद् आईस का क्रय तक का अनुदान देय हैं।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			धनराशि रू0 0.75 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत बॉक्स अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**24.** तिपहिया वाले आईस बॉक्स का क्रय–निर्धारित मानक अनुसार प्रति तिपहिया वाले आईस बॉक्स का क्रय का क्रय हेतु धनराशि रू0 3.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी 01 तिपहिया वाले आईस बॉक्स का क्रय तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	**25.** फिश कियॉस्क की स्थापना – निर्धारित मानक अनुसार प्रति फिश कियॉस्क की स्थापना हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	स्वरोजगार का विकास कर अधिक आय अर्जित करना। प्रति लाभार्थी 01 फिश कियॉस्क की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	**26.** लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर (Live fish vending centre) की स्थापना–निर्धारित मानक अनुसार प्रति लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर की स्थापना हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60	प्रति लाभार्थी 01 लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**27.** फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेज यूनिट (Fish Value Add Enterprise Unit)की स्थापना – निर्धारित मानक अनुसार प्रति फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेज यूनिट की स्थापना हेतु धनराशि रू० 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी 01 फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेज यूनिट की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	**28.** बीमा–बीमित मत्स्य पालक की मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर रू0 5.00 लाख तथा अपूर्ण अपंगता पर रू0 2.50 लाख की बीमा धनराशि से आच्छादित करने का प्राविधान के साथ–साथ रू0 0.25 लाख का चिकित्सा प्रतिपूर्ति।	मत्स्य पालकों हेतु निःशुल्क सुरक्षा बीमा प्रति वर्ष।
		अनुदान	**29.** बैकयार्ड ओरनामेन्टल फिश रियरिंग यूनिट की स्थापना एवं इनपुट (प्रथम वर्षीय निवेश) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार रू0 3.00 लाख प्रति यूनिट (न्यूनतम 300 वर्ग मीटर का खाली भूमि) पर व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक तथा ग्रुप/समिति को 20 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			अनुदान सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत मत्स्य पालक/ पंजीकृत उद्यमी हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी ।	
		अनुदान	**30.**मिडियम स्केल ओरनामेन्टल फिश रियरिंग यूनिट की स्थापना एवं इनपुट (प्रथम वर्षीय निवेश) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार रू0 8.00 लाख प्रति यूनिट (न्यूनतम 150 वर्ग मीटर का खाली भूमि) पर व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत मत्स्य पालक/ पंजीकृत उद्यमी हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन की जायेगी ।	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक तथा ग्रुप/समिति को 20 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	**31.** कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता– 10 टन) – भारत सरकार द्वारा	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			निर्धारित मानकोनुसार प्रति कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता – 10 टन) हेतु धनराशि रू0 40.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		अनुदान	**32.** कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता– 20 टन) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार प्रति कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता – 20 टन) हेतु धनराशि रू0 80.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
2.	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित)	प्रशिक्षण	1. मत्स्य पालकों का कौशल विकास/प्रशिक्षण – मत्स्य पालकों का कौशल विकास/प्रशिक्षण	मत्स्य पालको को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
			हेतु योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत धनराशि का वहन किया जाऐगा।	वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन कर मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाकर अधिक आय अर्जित करना।

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक
कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

वर्ष 2022–23 में लिंग वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (SSS) द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान (31 मार्च 2023 तक)

कृत्रिम गर्भाधान						उत्पन्न संतति						
लक्ष्य	पूर्ति				लक्ष्य	पूर्ति						प्रतिशत
						गाय			भैंस			
	गाय	भैंस	योग	प्रतिशत		नर	मादा	योग	नर	मादा	योग	
10536	4047	1877	5924	56.23	4236	93	1279	1372	39	472	511	44.45

वर्ष 2022–23 में लिंग वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (SSS) द्वारा कुल 1883 उत्पन्न संततियों में से 132 नर (7.01प्रतिशत) एवं 1751 मादा (92.99 प्रतिशत) उत्पन हुई हैं।

पशुधन बीमा–वर्तमान में जनपद में प्रत्येक पशुचिकित्सालयों द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों/वार्डों में विशेष अभियान/शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक पशुओं का बीमा किया जा रहा हैं। योजना का उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाना है।

जनपद में वर्तमान तक पशुधन बीमा की प्रगति निम्नवत् हैं–

क्र. स.	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	प्रतिशत
1	2020–21	8880	2725	30.91
2	2021–22	3990	4854	121.65
3	2022–23	11775	13210	112.19

किसान क्रेडिट कार्ड(KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालकों को उनके पशुओं के चारा, दाना, बीमा आदि हेतु न्यून दरों पर बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना हैं। जिससे पशुपालक अपने पशुओं की उचित देखभाल कर सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड का प्रगति विवरण जनपद–अल्मोड़ा

लक्ष्य वर्ष 2023–23	बैंक में जमा किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण एवं संख्या	स्वीकृत आवेदन	निरस्त	लम्बित
8000	11116	8280	630	2206

गोट वैली योजना

योजना का उद्देश्यः

1. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त व मैदानी क्षेत्रों में बकरी पालन का मूल्य श्रृंखला आधारित व्यवसासिक मॉडल स्थापित कर ग्रामीण आर्थिक के उत्थान में सुचित अवसर उपलब्ध कराने, बकरी पालन गतिविधि का सहयोग, सशक्त व उच्चीकरण करने हेतु पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में गोट वैली की स्थापना की जा रही हैं।

2. गोट वैली व्यवसायिक गोट फार्मिंग को केन्द्रित कर एकीकृत/समेकित आजीविका संवर्द्धन का मॉडल (Cluster Based Integrated Livelihood Enterprises Goat Model) तैयार किया जायेगा।
3. गोट वैली से पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सशक्तिकरण किया जायेगा।
4. परम्परागत बकरी पालन को शुद्ध लाभ वाली गतिविधि में परिवर्तित कर एक उद्यम के रूप में स्थापित करना तथा बकरी पालन के असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करना।
5. बकरी पालकों को गोट वैली के माध्यम से वर्ष भर आजीविका में वृद्धि हेतु अवसर प्रदान करते हुए उनकी आय में वृद्धि करना।
6. Export Quality Meat उत्पादन एवं बकरी के दूध (Goat Milk) की मूल्य श्रंखृला (Value Chain) को विकसित किया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड हवालबाग में ग्राम कोरीछीना से दाड़िमखोला तक गोट वैली क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है।

गोट वैली योजनान्तर्गत जनपद में 100 गोट यूनिट 20+1 स्थापित की जायेंगी, प्रत्येक गोट यूनिट में न्यूनतम 21 बकरियां (20 मादा+ 01 नर) होंगी। जिससे बकरी पालकों को लगभग प्रतिवर्ष रू0 72000.00 की आय होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

स्वरोजगार परक योजनाएं पशुपालन विभाग अल्मोड़ा

पशुपालन विभाग द्वारा जनपद में विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार परक योजनाएं संचालित की जाती है। जिनका विवरण निम्नवत् है–

- **राज्य सेक्टर गौपालन योजनाः** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गाय पालन योजना संचातिल की जा रही है, जिसमें ग्राम सभा की खुली सभा की खुली बैठकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चयनित लाभार्थी को उन्नत नस्ल की दुधारू गाय 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जाती है। योजना की कुल लागत रू 40,000.00 (चालीस हजार) है, जिसमें से लाभार्थी का अंश रू4000.00(चार हजार रूपये) मात्र है। बी0पी0एल, विधवा, निराश्रित महिला एवं विकलांगों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है। गाय क्रय करने हेतु धनराशि लाभार्थी अथवा विक्रेता के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। विकास खण्ड सतर पर उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा पशुचिकित्सा अधिकारी की चयन समिति द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाता है।

वर्ष	स्थापित ईकाईयां
2020–21	38
2021–22	43
2022–23	40
योग	121

लाभान्वित लाभार्थी लगभग प्रतिवर्ष रू 50000.00 आय अर्जित कर रहा है

- **राज्य सेक्टर बकरीपालन योजनाः** जपनद में बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिये अनुसूचित जाति परिवारों के लिये राज्य सेक्टर बकरी पालन योजना संचालित की जा रही है। ग्राम सभा की खुली बैठकों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चयनित लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान पर 10 मादा तथा 1 नर बकरियां उपलब्ध करायी जाती है। योजना की कुल लागत रू 70000.00(सत्तर हजार) हैं, जिसमें से रू 7000.00 (सात हजार रूपये) की धनराशी अंश होता है। विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा पशुचिकित्सा अधिकारी की चयन समिति द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाता है।

वर्ष	स्थापित ईकाईयां
2020–21	56
2021–22	61
2022–23	60
योग	**177**

- **महिला बकरीपालन योजनाः** योजनान्तर्गत ग्राम सभा की खुली बैठकों द्वारा प्रस्तावित लाभार्थियों को 3 मादा तथा 1 नर बकरी उपलब्ध करायी जाती है। योजना की कुल लागत रू 35000.00 (पैंतीस हजार रूपये) हैं, जिसमें से लाभार्थियों का अन्तिम चयन, चयन समिति के द्वारा किया जाता है। पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी चयन समिति के सदस्य होते हैं। निर्धन परिवार, बी0पी0एल0, निराश्रित महिला, विधवा महिला को योजना हेतु चयन किया जाता है। योजना का उद्देश्य से इनके जीवन व्यापन हेतु आय में वृद्धि करना हैं।

वर्ष	स्थापित ईकाईयां
2020–21	30
2021–22	30
2022–23	40
योग	**100**

- **बैक्यार्ड कुक्कुट पालन योजनाः** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से तथा उनकी आजीविका बढाने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम सभा की खुली बैठकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर लाभार्थी को 50 एक दिवसीय चूजे, जाली, दवाई तथा दो सप्ताह तक दाना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष	स्थापित ईकाईयां
2020–21	1500
2021–22	1600
2022–23	755
योग	**3855**